दिनांक 02/04/2024 को पेश हों।

गणपत बनाम छिमली देवी वगै0
वाद संख्या 241/2021

2 4/24

पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। विभाजन प्रस्ताव पूर्व में प्राप्त हो चुका है। विभाजन प्रस्ताव पर वकील वादी को सुना गया । वकील वादी ने कथन है कि मेरे द्वारा प्रस्तुत दावा बटवारे का है जिसमें दिनांक 09.12.2022 को माननीय न्यायालय द्वारा प्राथमिक डिक्री जारी की गई थी। प्राथमिक डिक्री की पालना में तहसीलदार जी नीमकाथाना द्वारा स्वयं मौके पर उपस्थित होकर विधिवत विभाजन कर विभाजन प्रस्ताव प्रस्तावित किया है। विभाजन प्रस्ताव से में पूर्ण रूप से सहमत हूँ। अतः विभाजन प्रस्ताव अनुसार दावा एफ.डी कर दिया जावें। वकील वादी को सुना गया व पत्रावली एवं विभाजन प्रस्ताव का अवलोकन किया गया। तहसीलदार नीमकाथाना द्वारा जो विभाजन प्रस्ताव तैयार किया जाकर प्रस्तावित किया गया है वह राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम–1955 के नियम 18 से 21 के अनुसार तैयार किया जाकर प्रस्तावित किया गया है जिस पर किसी ने कोई आपत्ति भी प्रस्तुत नही की है। अतः दावा वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव के अन्तिम रूप से डिक्री किया जाना उचित समझते है।

(राजवीर सिंह यादव)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2024.12.02 16:20:40 IST
Reason: SelfAttested

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर दावा वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार नीमकाथाना के पत्रांक भू.अ./2023/1315 दिनांक 10.04.2023 द्वारा प्रस्तावितानुसार

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर ता

को अन्तिम रूप से डिक्री किया जाता है तथा वादी व प्रतिवादीगण को विभाजन प्रस्ताव अनुसार पृथक–पृथक काबिज खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। विभाजन प्रस्ताव मय नक्शा डिक्री का भाग समझा जावें। तद्वानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हेतु पर्चा डिक्री मुर्तीव हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय सरे इजलाय सुनाया गया।

(राजवीर सिंह यादव)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2024.12.02 13:20:40 IST
Reason: SelfAttested